

श्री राणा पृथ्वी
 अद्यता इवता
 २०३१/०३/०३/१९

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा-6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्राप्त)

सेवा में,

~~जनसूचना अधिकारी
कार्पोरेशन - पानीपत कार्पोरेशन
आफ्रोडिया लिमिटेड~~

प्रेषक:-

विशाल सिंह - पुण्यी रत्न सिंह

1. आवेदक का नाम विशाल सिंह - पुण्यी रत्न सिंह

2. पूरा पता गोप वजहेरा चौहानी विशाल सिंह - आगरा २०३१२५

3. दूरभाष ९८५९८२३०६५

4. आवेदन देने का दिनांक २०।१।१९

5. कार्यालय का नाम जहाँ से सूचना चाहिये पानीपत कार्पोरेशन आफ्रोडिया लिमिटेड

6. नागरिकता (राज्य) उत्तर प्रदेश

7. चाहीं गयी जानकारी का विवरण I - फारमसेट्स-१५।। दिनांक ६-१-१७ से २२० K.V. आगरा भरतपुर

फारेमेंट लाइन हेतु विशाल सिंह - पुण्यी रत्न सिंह निवासी वजहेरा तदूँसदूँ बिला आगरा के लैकिशन
म० ३१/० से ३१/।। पर्सीएल के नीन मैट्रीशम के दस फैट गूलर कैप्स नीम के आपेंडीकोनीटिकल एवं प्रैक्टिकल
कार्यालय जिसे आपके विचार द्वारा काटलियागया किन्तु हमें उस प्रभाव नहीं आपके हाथों प्राप्ति की जिसका एक वितरण
कार्यालय द्वारा देखा गया है क्योंकि हमारी विचारित प्रैक्टिकल भाष्टन ही द्विपांगमा है तो नवायी जानकारी का आवेदन
रूपरेखा करें। II - बुक्स कामुआक्स लाइनिंग समस्या शुधिकारी विभाग हारा किसानिधि वित्तियांगण हैं और
रूपरेखा करें। पाठ नहीं किया गया है ताकारण रूपरेखा करें।

8. आवेदन के साथ आद किये जाने वाले शुल्क १०३०प्र०-२३० नोटसेट्स २३० ८५८८८८ संकान हैं।

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है, है/नहीं नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर
विशाल सिंह

यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है तो स्वयं का पता अंकित करते हुये आवश्यक

घनराशि का टिकट लगा लिफाफा संलग्न करें।

नोट - जीवेस किंवद्दं ६।।।।। की फोटोग्राफी संलग्न है।।।।।

पावर ग्रिड कारपोरेटेन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उत्तरी क्षेत्र-1, आगरा संघर्ष

12.6 किमी० आगरा शमशाबाद मार्ग डाकघर-श्यामो आगरा - 282325



पावरग्रिड

फार्म संख्या : 951

कार्यालय नं : 0562-2771204

पत्रांक सं. :- एन-1/एच.बी.डी.सी./पेड

दिनांक:

6/11/2012

विषय:- ±800 के वी.एच.बी.डी.सी. निधौरा-आगरा पारेषण लाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में।
महोदय, 220 के.वा. बोर्डो-प्रयागराज (लैला पारेषण लाइन)

ग्राम..... श्री विभाल तिंडु पुत्र श्री रहन यिंदु जाति..... अक्षर
पास्ट दिनार तहसील..... जिला..... आगरा
वर्णना..... इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेटेन ऑफ इंडिया लिंग (भारत सरकार का उद्यम) ±800 के.वी.एच.बी.डी.सी. निधौरा-आगरा पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इंडियन इलैक्ट्रोस्टी (सप्लाई) एक्ट - 1948 की धारा 42 के साथ परिवहन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 धारा-3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को लिये विभाग कदाचित उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित एवं वृक्षों के पातन के बाद पावरग्रिड के द्वारा देय होगा।

वृक्षों का विवरण

| क्र.सं. | लोकेशन नं. | वृक्ष का नाम/प्रजाति | संख्या | वृक्ष की गोलाई (मीटर) (सौने की ऊंचाई पर) | वृक्ष की अनुमति आयु मौजा | खसरा नं. | अन्य विवरण |
|---------|------------|----------------------|--|---|-----------------------------|----------|------------|
| 37/0 | पीपल | 03 | 2-10, 104, 112 | | | | |
| 70 | शीतल | 10 | 35, 65, 90, 65, 95, 145, 75, 77, 60 | 1-00 | | | |
| 37/1 | झुबर | 04 | 65, 79, 108, 90 | | | | |
| | ताम | 08 | 77, 120, 56, 65, 42, 35, 35, 78 | | | | |

कृते पावरग्रिड, आगरा

नोटिस प्राप्त किया :

(नाम साहृदार हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार..... स्टार्ट जिला..... आगरा

आपको यह पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वृक्षों का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व प्रमाणित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जा सके।

2. उप जिला अधिकारी.....

कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उधार के हित को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दें। यदि उक्त वृक्ष मालिक निर्धारित अवधि में विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के आधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करें ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्वयं द्वारा सुरक्षा की जा सके।

मुख्य प्रबंधक / प्रबन्धक (पारेषण लाइन निर्माण)

तहसील कार्यालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....

विवासी ग्राम..... पोस्ट.....

पुष्ट श्री.....

तहसील..... जिला..... वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित.....

पर वृक्षों का मुआवजा रूपमा.....

रिपोर्ट सेवा हेतु अग्रसारित है

(संदर्भ में)



संग्रहीत

To

जनसूचना आयोजन

प्रावर निर्जन कारप्रेशन आणि इमिग्रेशन

(आरत सरकार आवधाय)

पता :- दिल्लीय मुख्यमंत्रालय :- ३. कैट्टी - ३. १२ - रामपुरायमार्ग

गोपनीय

Pin 226001



